

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, वाडमेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 34 / 2024

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी वाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. सतार खान पुत्र इसाक खान जाति
मुसलमान निवासी मु.पो. विशाला तह.
व जिला वाडमेर (मैसर्स कादरी
किराणा स्टोर, विशाला का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रभान सिंह महेचा उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाडमेर द्वारा धारा 26 की उप
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी
वाडमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म
मैसर्स कादरी किराणा स्टोर, विशाला पर निरीक्षण दिनांक 22.02.2024 को खाद्य पदार्थ
घी (हास्य ब्राण्ड) (500-500 मिली वाले 06जार) को मिलावट का होने के शक पर
नियमानुसार घी (हास्य ब्राण्ड) (500-500 मिली वाले 06जार) में से 04 जार मूल ही
वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2471 अंकित कर इसकी जांच खाद्य
सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर
अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड
घी (हास्य ब्राण्ड) (500-500 मिली वाले 06जार) का नमूना वास्ते जांच खाद्य
विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य
विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी
(हास्य ब्राण्ड) (500-500 मिली वाले 06जार) का नमूना अनसेफ (Unsafe) पाये
जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल



की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित। अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्माता द्वारा ही घी की पैकिंग की जाती है तथा बाजार में बेचने हेतु दुकानों पर वितरित की जाती है। उक्त घी पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ एवं मिलावट नहीं की गई है, निर्माता द्वारा जिस प्रकार से उसे पैकिंग कर भेजा गया है, उसी अवस्था में अप्रार्थी द्वारा विक्रय हेतु रखा गया था। उक्त प्रकरण में हास्य ब्राण्ड के निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वास्तविक रूप से तो निर्माता ही अपने उत्पाद की गुणवत्ता का जिम्मेदार है। लिहाजा उनके विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **B.R.R. at 40 degree C** का मानक स्तर 40-44 के मुकाबले **57.73** पाया गया है, **R.M. Value** का मानक स्तर Not less than 24 के मुकाबले **4.09** पाया गया है, **iodine Value** का मानक स्तर 25-38 के मुकाबले **83.26** पाया गया है, **Saponification Value** का मानक स्तर 205-235 के मुकाबले **185.07** पाया गया है, **Test for the presence of Vegetable oils** का मानक स्तर shall be absent के मुकाबले **Present** पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्माता द्वारा ही घी की पैकिंग की जाती है तथा बाजार में बेचने हेतु दुकानों पर वितरित की जाती है। उक्त घी पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ एवं मिलावट नहीं की गई है, निर्माता द्वारा जिस प्रकार से उसे पैकिंग कर भेजा गया है, उसी अवस्था में



अप्रार्थी द्वारा विक्रय हेतु रखा गया था। उक्त प्रकरण में हास्य ब्राण्ड के निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वास्तविक रूप से तो निर्माता ही अपने उत्पाद की गुणवत्ता का जिम्मेदार है। लिहाजा उनके विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 25,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Kup
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर